

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन , ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)(पी-300)/अलेसे-II/1664

दिनांक:- 30/06/2025

आख्यात्मक आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या-2399/2025 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2025 के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि श्री पुष्पेन्द्र कटारा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II(लिनक नं. 10383), वर्तमान में पंचायत समिति, घाटोल, बांसवाड़ा में कार्यरत हैं। विभागीय स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 245/2024-25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा श्री पुष्पेन्द्र कटारा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II का स्थानान्तरण सूची क्रम संख्या-298 पर नवपदस्थापन कार्यालय उपकोष, सलूमबर में किया गया जिसके क्रम में आदिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियम 02(ए) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के लिए नियोक्ता अधिकारी है, तथा स्थानान्तरण की सम्पूर्ण शक्तियां निहित हैं। श्री पुष्पेन्द्र कटारा का सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में किसी भी अन्यत्र विभाग में स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है। पिटिशनर श्री कटारा का स्थानान्तरण प्रशासनिक ठोस आधारों पर राज्य हित में लगभग 01 वर्ष 04 माह उपरान्त सलूमबर, जिला उदयपुर में किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या-2399/2025 में निर्णय दिनांक 06.02.2025 में निम्न निर्देश प्रदान किये हैं - "The grievance of the petitioner that where he has been transferred there is no vacancy on the post of AAO, Gr.-II is concerned, the same shall be looked into by the competent authority and if so warranted remedial orders shall be passed to ensure that the petitioner is assigned the duties as per his seniority and status."

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 06.02.2025 की अनुपालना में श्री पुष्पेन्द्र कटारा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-II का पदस्थापन उपकोष, सलूमबर के स्थान पर कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विधि विभाग, बांसवाड़ा में सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-II के रिक्त पद के विरुद्ध किया जाता है।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)(पी-300)/अलेसे-II/1664

दिनांक:- 30/06/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विधि विभाग, बांसवाड़ा।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घाटोल, बांसवाड़ा।
3. उपकोषाधिकारी, सलूमबर।
4. श्री पुष्पेन्द्र कटारा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, कार्यालय, पंचायत समिति, घाटोल, बांसवाड़ा।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा।
7. पदस्थापन सीट/निजि/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)